न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

आँगन मालिक (बमशंकर पासवान उर्फ गिलगिल पासवान)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,

केस संख्या– **469/2020–21,**

केस का प्रकार–

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त आँगन के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 221/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 262/2019, में जप्त देशी शराब एवं जप्त आँगन के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–अगवानपुर वार्ड नं0 11, थाना–सदर, घटना की तिथि–15.06.2019 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद बल, बिहार होमगार्ड एवं सैफ बल के साथ उपर्युक्त स्थान, तिथि को तलाशी के क्रम में अभियुक्त के कब्जे के आँगन से एक प्लास्टिक के गैलन में लगभग पाँच लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद हुआ। जाँच में एक ली0 शराब गया। अतः अनुरोध है कि शेष 04 ली0 अवैध चुलाई शराब का विनष्टीकरण करने की कृपा की जाय।" प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त आँगन के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण वाद संख्या–633/2020–21, के अन्तर्गत दिनांक–15.09.2021 को विनष्ट करने का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त आँगन के अधिहरण के बिन्दु पर आँगन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। आँगन मालिक बम शंकर पासवान उर्फ गिलगिल, पिता– स्व0 देबन पासवान, साकिन– अगवानपुर वार्ड नं०– 11, थाना व जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। आँगन मालिक का कहना है कि उत्पाद विभाग द्वारा गलत रूप से उपरोक्त मामले में इन्हें अभियुक्त बनाया गया है। वे पेशे से मजदूर एवं काफी गरीब हैं। आगे कहना है कि घटना के दिन वे	

घर पर नहीं थे और वे मजदूरी करने घर से बाहर गये थे। उसी क्रम में ग्रामीण राजनीति से प्रेरित होकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा षडयंत्र के तहत मुझे उपरोक्त वाद में फंसा दिया गया। मेरे आँगन या जमीन में से किसी भी प्रकार का उत्पाद वस्तु बरामद नहीं हुआ है और आज तक मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ कोई भी आपराधिक वाद दायर नहीं हुआ है।

इनके ओर से मुख्यतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपने ओर से दाखिल स्पष्टीकरण को स्वीकार कर वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त आँगन का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण एवं बेचने में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक मद्यनिषेध सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त आँगन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त परिसर में बहुत ही कम मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है एवं परिसर मालिक द्वारा घर में नहीं रहने के कारण कुछ असामजिक तत्वों द्वारा यह कृत्य किया गया प्रतिवेदित किये है। ऐसी स्थिति में परिसर मालिक को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत् होता है। अतः उक्त जप्त परिसर को विमुक्त करने का आदेश देते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 44 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 14.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

14.01.21
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।